

मांग संख्या 33  
मुख्य शीर्ष 2225

**मद क्रमांक 1**

डिक्कीधन भुगतान मद में राशि रूपये 0.64 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 64,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 2**

वाहनों की मरम्मत हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है । आवश्यक व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।